उत्तर प्रदेश शासन,
ग्राम्य विकास अनुभाग-2
संख्या-4/2018/ सा0-57 /38-2-2018-24बी/2017,
लखनऊ: दिनांक: 16 जनवरी, 2018

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-33 सन् 1961) की धारा-3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या-5445/38-3-478/70, दिनांक 18 सितम्बर, 1972 का आंशिक उपान्तरण करके राज्यपाल जिला-**गोरखपुर** में एक नया विकास खण्ड **'पीपीगंज'** सृजित करते हैं और इस अधिसूचना के दिनांक से नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में यथा-विनिर्दिष्ट विकास खण्ड-जंगल कौड़िया एवं कैम्पियरगंज के ग्रामीण क्षेत्रों को उपांतरित करते हैं और यह निदेश देते हैं कि उक्त स्तम्भ-2 में उल्लिखित खण्डों में वे क्षेत्र होंगे जो नीचे अनुसूची के स्तम्भ-3 में प्रत्येक खण्ड के समक्ष उल्लिखित ग्राम पंचायत सर्किलों में सम्मिलित हैं।

अनुसूची

जिला का नाम	**खण्ड का नाम**	**ग्राम पंचायत सर्किल, जिनसे खण्ड के क्षेत्र का गठन होगा**
1	**2**	**3**
गोरखपुर	जंगल कौडिया	जंगल कौडिया, चिउटहां, गायघाट, अजिजुल्लाह उर्फ चकिया, जिन्दापुर उर्फ गोसाईपुर, डिहाघाट, सिहोरवां, प्रतापुर, अहिरौली, केवटलियां, फुलवरिया, बेलघाट खुर्द, एकमा, मझगावां, गोविन्दपुर, गौराखास, डोमिनगढ़(भाग), उत्तरासोत, घुनघुनकोठा, मझरियां, भण्डारी, भिटनी, बेला, जमुआड़, मोहम्मदपुर, रोहुआ, भौरामल, डोहरियां, काजीपुर, करन्जहवां, तारंगचक, बरियारपुर, शेरपुर चमराह, बुढ़ियाबारी, कुशहरा, बौरडिह, कुड़वा, मैनाभागर, दहला, उस्का, मिरपुर, मटियारी, भिटी, पचवाराखास, तालिलिखिया, डाढ़ाडीह, नयागांव, बारहपाटी, रामूघाट, नीबा, बढ़नी, बुढ़ेली, बिस्टौली, भम्भौर, जे के ब्लाक का लक्ष्मीपुर, मंगलपुर, सरहरी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	कैम्पियरगंज	मरहठा, मेझुका, मरहरी, खड़खड़िया, जवैनिहा, बड़ुआ, मोगलहा, कुनवार, बन्दोह, रामकोला, बलुआ, सोनौरा खुर्द, विशुनपुर प्रथम, डुमरिया, सोनौरा बुजुर्ग, आलमचक, शिवलहिया, महावनखोर, बादशाहपुर, कुन्जलगढ़, बैजनाथपुर, धरमपुर, रामचौरा, अलेनाबाद, रामनगरकेवटलिया, रिगौली, खजुरगावॉ, भैंसला, भगवानपुर, छितही खुर्द, पोवा, अहिरौली, बनकटा, कहरौली, तालबंजरहा, सनगद, गेरूई खुर्द, बरईपार, मिरिहिरियॉ, गोपलापुर, पचमा, मूसावार, शिवपुर करमहवॉ, जनकपुर, तेनुआ विसम्भरपुर, गुलरिहा, भरवलिया, मछलीगॉव, बरगदही, चौरी, करीमनगर, इन्दरपुर, रमवापुर, विशुनपुर द्वितीय, माधोपुर, गोपालगंज उर्फ हरनामपुर, भौराबारी, चन्दीपुर, अलीगढ़, मोहम्मदपुर उर्फ हर्गना, लक्ष्मीपुर-2, सरपतहा, मोहनाग, मोहम्मदपुर उर्फ जंगल बब्बन, सूरस, राजपुर, नवापार, बजहॉ, बजही, अलगटपुर, लक्ष्मीपुर-1, चौमुखा, ठाकुर नगर, बसन्तपुर, बनभागलपुर, कैम्पियरनगर, लोहरपुरवा।
	पीपीगंज	जंगल बिहुली, जंगल अगही, जंगल झझवॉ, कुई, साहबगंज, बगहीभारी, मखनहॉ, अकटहवॉ, कल्यानपुर, बान, बढ़या, बरघट्टा, भरोहिया, भुईधरपुर, चौकमाफी, फरदहनी, गोपलापुर, हरखोड़ी, हरपुर, हिरूआ, जगदीशपुर, जसवल, करतहरी, कोल्हुआ, मड़हा, मझौना, मंझरिया, नयनसर, नुरूद्दीन चक, पचगावॉ, रायपुर, राजाबारी, राखूखोर, रामपुर कैथवलिया, रमवापुर, रानाडीह, रसुलपुर चकिया, साखी, ठाकुरापार, तिघरा, तुर्कवलिया।

आज्ञा से,

अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-4/2018/सा0-57(1)/38-2-2018-24बी/2017, तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2- महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
4- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त संयुक्त/उप विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- विधायी अनुभाग-1
9- पुस्तकालयाध्यक्ष, विधान सभा पुस्तकालय, विधान सभा सचिवालय को 05 प्रतियां।
10- पंचायतीराज अनुभाग-1/2/3
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
12- संयुक्त सचिव, भाषा विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय को इस अधिसूचना को उर्दू में अनुवाद कर असाधारण गजट में प्रकाशित कराने हेतु।
13- समस्त अनुभाग, ग्राम्य विकास विभाग।
14- समस्त अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र मिश्र
अनु सचिव।

संख्या-4/2018/सा0-57(2) /38-2-2018-24बी/2017, तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय शाखा मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को आगामी असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 के खण्ड-ख के परिनियम आदेश में प्रकाशनार्थ प्रेषित। मुद्रित अधिसूचना की 500 प्रतियां कृपया ग्राम्य विकास अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश सचिवालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र मिश्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Gram Vikas Anubhag-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.-4/2018/sa-57/38-2-2018-24B/2017, Dated: January 16, 2018.

NOTIFICATION

No.-4/2018/sa-57/ 38-2-2018-24B/2017.
Lucknow: Dated: January 16, 2018

In exercise of the powers under section 3 of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961 (U.P. Act. no. 33 of 1961) and in partial modification of notification no. 5445/XXXVIII-3-478-70, dated September 18, 1972 as amended from time to time, the Governor is pleased to create a new Vikas Khand Pipiganj in district Gorakhpur and to modify the rural areas of Vikas Khand Jangal Kauria and Campierganj as specified in column 2 of the Schedule below with effect from the date of this notification and to direct that the Khands mentioned in the said column 2 shall consist of the areas comprise the Gram Panchayat circles mentioned against each khand in column 3 of the Schedule below :-

SCHEDULE

Name of District	Name of Khand	Gram Panchayat circle which shall constitute the area of the Khand
1	2	3
Gorakhpur	Jangal Kauria	Jangal Kauria, Chiutaha, Gayghat, Azizullah Urf Chakia, Jindapur urf Gosainpur, Deehaghat, Sihorwa, Pratappur, Ahirauli, Keotalia, Phulwaria, Belghat Khurd, Ekama, Majhganwa, Govindpur, Gaurakhas, Domin Garh (Part), Uttrasot, Ghunghunkotha, Manjharia, Bhandari, Bhitani, Bela, Jamuar, Mohmmadpur, Rohua, Bhauramal, Doharia, Kazipur, Karnjahwa, Tarangchak, Bariarpur, Sherpur Chamrah, Buriya Bari, Kushahra, Baur Deeh, Kudwa, Maina Bhagar, Dahla, Usaka, Meer Pur, Matiyari, Bhiti, Pachvara Khas, Tal Likkia, Dhadhadih, Naya Gaon, Barahpati, Ramughat, Niba, Barhni, Budehli, Bistauli, Bhambhaur, Laxmipur of JK Block, Mangalpur, Sarhari.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	Campierganj	Marahtha, Mejhuka, Marhari, Kharkharia, Javainiha, Baduwa, Moglaha, Kunwar, Bandoh, Ramkola, Balua, Sonaura Khurd, Bishunpur-1st, Dumaria, Sonaura Buzurg, Alamchak, Shivlahia, Mahawankhor, Badshahpur, Kunjalgarh, Baijnath pur, Dharampur, Ramchaura, Alenabad, Ramnagar Keotalia, Rigauli, Khajur Gawan, Bhainsala, Bhagwanpur, Chhitahi Khurd, Powa, Ahirauli, Bankata, Kahrauli, Tal Banjaraha, Sanagad, Geruie Khurd, Baraipar, Mirhiriya, Gopalapur, Pachma, Musawar, Shivpur- Karmahwa, Janakpur, Tendua Bisambharpur, Gulariha, Bharwalia, Machhali gaon, Bargadhi, Chauri, Kareemnagar, Indarpur, Ramwapur, Bishunpur-2nd, Madhopur, Gopalganj Urf Harnampur, Bhaurabari, Chandipur, Aligrah, Mohammadpur urf hargna, Laxmipur-2nd, Sarpatha, Mohnag, Mohammadpur urf Jangalbabhan, Suras, Rajpur, Navapar, Bajaha, Bajahee, Algatpur, Laxmipur-1st, Chaumukha, Thakur Nagar, Basantpur, Banbhagalpur, Campiernagar, Loharpurwa,
	Pipiganj	Jangal Bihuli, Jangal Agahi, Jangal Jhajhwa, Kui, Sahabganj, Bagahibhari, Makhnaha, Aktahwa, Kalyanpur, Baan, Badhaya, Bairghata, Bharohia, Bhuidharpur, Chauk Mafi, Phardahni, Gopalapur, Harkhodi, Harpur, Hiruwa, Jagdishpur, Jaswal, Kartahari, Kolhuwa, Madha, Majhauna, Manjhariya, Nayansar, Nuruddin Chak, Pachgawa, Raipur, Rajabari, Rakhukhor, Rampur Kaithwaliya, Ramwapur, Rannadih, Rasulpur Chakiya, Sakhi, Thakurapar, Tighara, Turkwaliya.

By Order,
Anurag Srivastava
Principal Secretary.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।